

पुलिस अधेश सं० 285 /2002 .

प्रतीक्षा:- पुलिस अधेश संख्या-209/88 में आर्थिक संशोधन ।

विषय:- पुत्रैक जिला/वारदानी में आरदों के स्वाकृत बल में से 3-3 पट मुठ्ठे के लिए कर्तव्य में मृत आरदों बल के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के तर्बीय में ।

पुलिस अधेश संख्या 209/88 के अन्तर्गत बाल आरदी के पट पर नियुक्ति हेतु उम्र सामान्य 12 से 18 वर्ष तक है । 19 वर्ष को आयु पूर्ण होने पर बाल आरदी को सैवा समाप्त एवं इच्छुक होने पर और निर्धारित शारीरिक माप एवं ईशांतिक घोग्यता रखने पर आरदी का नियुक्ति का प्रावधान है ।

दर्तमान में सरकार द्वारा आरदी पट पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सामान्य निर्धारित की गई है । न्यूनतम अधेश संख्या 209/88 में निम्न आर्थिक संशोधन दर्तमान जाता है :-

इसल आरदी पट पर नियुक्ति हेतु उम्र सामान्य 12 वर्ष के अन्दर होनी चाहिये ।
पुलिस अधेश संख्या- 209/88 लो इस टक तक संशोधित समझा जाय । ऐसे अंग पूर्ववत रहेंगे ।

महानिटेशन एवं आरदी महानिरोक्त,
बिहार, पटना ।

क्रापर्क 3740 /पो० 2

43-38-126-2000

महानिटेशन एवं उपराज्य प्रभानिरोक्त का दावालिय, बिहार ।

पटना, दिनांक 21 अगस्त, 2002.

प्रतिलिपि:-

- 1- सभी आरदों उच्चीकृत/अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा सहित।/ सभी समाटेटा।अश्वारोहो नेत्र्य पुलिस, आरा सहित।/ दो सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
- 2- आरदी अट्ठेझ, आरदी पुस्तिका निधानय, नाथनगर, भाश्मलपुर जो सूचनार्थ एवं अवश्यक क्रियार्थ ।
- 3- आरदी महानिरोक्त के तहायकावितंतु।, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अवश्यक क्रियार्थ ।
- 4- सभी लेखीय आरदी उप-महानिरोक्त/अपराध अनुसंधान विभाग/नेत्र्य पुलिस/विशेष शाखा जो सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
- 5- सभी प्रेषेत्रीय अपर महानिटेशन/रेतवे सहित। दो कृपया सूचनार्थ ।

From 20.6.2002

आरदी उप-महानिरोक्त/हार्मिका, बिहार, पटना ।

/1782002

11/6/2002
20.6.2002